

अधिसूचना
सं० 9/2015-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सा.का.नि.. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 94 तथा वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 और 139 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में ऽ वश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख
(1)	(2)
1.	13/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 [सा.का.नि.. 186(अ), तारीख 17 मार्च, 2012]
2.	14/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 [सा.का.नि.. 187 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012]

(फा.सं.334/5/2015-टी० रयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

